न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न. 04/22

प्रवेश तिथि
04.01.2022

निर्णय तिथि
24.01.2022

उनवान

1. कांटूला पुत्र हरसहाय जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर
2. मुकेश धवन पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी दोहडा
3. धर्मपाल पुत्र रूपचन्द जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकराहक इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

उपस्थिति :–

1. सुभाष चन्द वकील वादी की और से ।
2. प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:– वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 256/0.10 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास पैतृक शामलाती पारिवारिक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादीका 1/4 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का है शेष हिस्सा वादी के परिजनो का है जो राजस्व वाद मे विवादित आराजी है ।

उक्त आराजी वादी के पिता हरसहाय व वादी के ताउ रामसहाय की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वो अपने जीवन काल से काबिज काश्त रहे है तथा उनके फौत होने पर मिन वादी वो ताउ रामसहाय के विधिक वारिसान काबिज काश्त है जिसके नाम का अमल बतौर काबिज खातेदार काश्तकार जमाबन्दी मे हो रहा है आराजी विवादित को जुम्मा पुत्र नोन्दा व रूपचन्द पुत्र छोटा ने कभी काश्त नही किया बल्कि मिन वादी के पिता व ताउ ही काबिज काश्त थे जिनके फोत होने के पश्चात वादी व मृतक रामसहाय के वारिसान ही काबिज काश्त है आज भी मौके काबिज काश्त है किसी दीगरका आराजी उक्त से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है ।

जमाबन्दी सम्वत 2029 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई जिसमे आराजी खसरा नम्बर 256/0.10 हे. पर रामसहाय , हरसहाय पि. बुधा सा. दे हके नाम का इन्द्राज हो रहा है जो सही है परन्तु हाल जमाबन्दी मे सहवन से ,, बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा , रूपचन्द पुत्र छोटा चमार सा. देह शिकमी,, का अंकन हो रहा है जो गलत है गलत अंकन के कायम रहने से वादी व शेष खातेदारान के हकूको पर कुठाराघात हो रहा है जिस गलत अंकन को हजफ कराकर वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः वादी वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

1. डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.10 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशगनढबास की हाल जमाबन्दी मे जो अमल ,, बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा , रूपचन्द पुत्र छोटा सा. देह शिकमी ,, हो रहा है वह गलत है जो हकूक वादी के विरूद्व बातिल वो बेअसर है हजफ किये जाने योग्य है हजफ किया जावे।
2. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 2 व 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश कर वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की। तथा अपने इकबाल जबाब मे निवेदन है विवादित आराजी से मिन प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम को हजफ किया जावे।

हमने वादी ने साक्ष्य के शपथ पत्र काटूला पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2073—76 काटूला पुत्र हरसहाय वैगरा बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा ,रूपचन्द पुत्र छोटा 1/2 चमार सा. देह शिकमी खसरा नम्बर 256 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सख्या 2 व 3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा एवं रूपचन्द पुत्र छोटा के वारिसान है जिनके द्वारा इकबाल जबाब दावा पेश कर वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की है तथा विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही होना बताया है। चूकी विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बकाश्त के वारिसान द्वारा बकाश्त अंकन को हटाये जाने निवेदन किया है इसलिए हम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बकाश्त अंकन हो हटाने जाने उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बेरूवे इकबाल जबाब दावा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.10 हे. के अपने 1/4 हिस्से पर काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा , रूपचन्द पुत्र छोटा 1/2 चमार सा. देह शिकमी ख.न. 256 के समस्त अंकन को कलमन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दालिख लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.
04/22

प्रवेश तिथि
04.01.2023

निर्णय तिथि
24.01.2022

पर्चा डिक्री

उनवान

1. कांटूला पुत्र हरसहाय जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर
2. मुकेश धवन पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी दोहडा
3. धर्मपाल पुत्र रूपचन्द जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकराहक इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

उपस्थिति :–

1. सुभाष चन्द वकील वादी की और से ।

प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बेरूवे इकबाल जबाब दावा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.10 हे. के अपने 1/4 हिस्से पर काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज ,,बकाश्त जुम्मा पुत्र नोन्दा , रूपचन्द पुत्र छोटा 1/2 चमार सा. देह शिकमी ख. न. 256,, को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास